


डा0 अजीज कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं
कुलाधिपति, कुमाऊँ
विश्वविद्यालय नैनीताल।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 1616 / जी0एस0 / C3-7 / शिक्षा / 2012
देहरादून दिनांक 08 अगस्त, 2012

आदेश

डा0 वी0पी0एस0 अरोड़ा, कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल का कार्यकाल दिनांक 12.08.2012 को पूर्ण हो रहा है।

कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कुलपति के रिक्त पद का कार्यभार, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 (10) (बी) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक डा0 हेमलता ढौंडियाल, आई0ए0एस0, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

डा0 अजीज कुरैशी
कुलाधिपति।

संख्या ¹⁶¹⁶(1) / जी0एस0 / C3-7 / शिक्षा / 2012 दिनांक 08 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डा0 हेमलता ढौंडियाल, आई0ए0एस0, ^{आयुक्त} कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. डा0 वी0पी0एस0 अरोड़ा, कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
7. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

(अशोक)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।